

**Duplicate Copy**

25-Jun-2024

**आदेश**

तिथि

Dec 9 2022

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पत्थरचपटी थाना मधुपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
201/1	0/1	0 एकड़, 2.87 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
REYAZUDDIN HASHMI	पिता	KAMRUDDIN HASHMI

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 317 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
REYAJUDDIN HASMI	-----	KAMRUDDIN HASMI

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

नामांतरण में पारित आदेश अपीलीय प्रकृति का होता है एवं नामांतरण कोई Title decide नहीं करता है। अतः राजस्व हित में/प्रश्नगत भूमि के नामांतरण में आपत्ति के आभाव में / राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। भविष्य में अगर उच्चतर न्यायालय से कोई आदेश पारित हो अथवा/अन्य किसी रैयत से आपत्ति प्राप्त होता है तो नामांतरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा।

अतः वार्षिक लगान **40रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

**स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

Permeshwar Kushwaha

अंचलाधिकारी मधुपुर

